कार्यपरिषद् की 45वीं आकस्मिक बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2023 का कार्यवृत्त

दिनांक 31 जनवरी, 2023 (मंगलवार) पूर्वाह्न 11:00 बजे मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में कार्यपरिषद् की 45वीं बैठक सम्पन्न हुई, बैठक के प्रारम्भ में मंगलाचरणोपरान्त कार्यपरिषद् की सदस्या, प्रो. कमला पंत के पूज्य पिताजी, संस्कृत के विद्वान् स्वर्गीय, प्रो. जगन्नाथ जोशी जी के निधन पर 02 मिनट का मौन रख कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी। बैठक में मा0 कार्यपरिषद् के निम्नलिखित सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. **प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री** — अध्यक्ष
   कुलपति
2. **मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री लोक पाल सिंह** — सदस्य
   पूर्व मा. न्यायमूर्ति
   उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय।
3. **प्रो. कमला पन्त** — सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
   विभागाध्यक्ष–संस्कृत विभाग
   एम.बी. (पी.जी.) कॉलेज
   हल्द्वानी।
4. **डॉ. ओम प्रकाश भट्ट** — सदस्य
   पूर्व प्राचार्य (से.नि.)
   श्री रामानुज वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय
   भूपतवाला, हरिद्वार।
5. **प्रो. यशवीर सिंह** — सदस्य
   प्राध्यापक, संकायाध्यक्ष–धर्मशास्त्र विभाग
   श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली।
6. **श्री पद्माकर मिश्रा** — सदस्य
   उप निदेशक
   उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा निदेशालय
   रानीपुर झाल, हरिद्वार।
7. **डॉ. प्रतिभा शुक्ला** — सदस्य
   संकायाध्यक्ष–साहित्य संस्कृति संकाय
   उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार।
8. **डॉ. शैलेश कुमार तिवारी** — सदस्य
   संकायाध्यक्ष–वेद–वेदांग संकाय
   उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार।
9. **प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला** — सदस्य
   आचार्य/विभागाध्यक्ष–भाषा एवं
   आधुनिक ज्ञान–विज्ञान विभाग
   उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार।

10. **डॉ. कामाख्या कुमार** — सदस्य
उपाचार्य–योग विज्ञान विभाग
उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार।

11. **डॉ. विनय कुमार सेठी** — सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
सहायक आचार्य–भाषा एवं
आधुनिक ज्ञान–विज्ञान विभाग
उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार।

12. **डॉ. संजीव शास्त्री** — सदस्य
प्राचार्य
श्री दैवी सम्पद् अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय
परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश।

13. **डॉ. शिवानी विद्यालंकार** — सदस्य
प्राचार्या
श्री निर्मल संस्कृत महाविद्यालय, कनखल
हरिद्वार।

14. **श्री लखेन्द्र गौथियाल** — सदस्य
मुख्य वित्त अधिकारी
उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार।

15. **गिरीश कुमार अवस्थी** — सचिव
कुलसचिव

16. **श्री दिनेश कुमार**
उपकुलसचिव

बैठक में अधो–निर्दिष्ट निर्णय लिये गये :–

मद संख्या : 01 कार्यपरिषद् की 44वीं बैठक दिनांक 28 सितम्बर 2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं कृत कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय : **मा.कार्यपरिषद् द्वारा उक्त बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी और कृत कार्यवाही के विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया।**

मद संख्या : 02 वित्तसमिति की 18 वीं बैठक दिनांक 25 नवम्बर 2022 के कार्यवृत्त के मद संख्या 01 के विनिश्चय पर तथ्यों के आलोक में विचार विमर्श पूर्वक निर्णय एवं अन्य विनिश्चयों की सम्पुष्टि।

विनिश्चय : **वित्तसमिति की 18 वीं बैठक दिनांक 25 नवम्बर 2022 कार्यवृत्त के मद संख्या 01 का विनिश्चय द्वितीय पैरा/बिन्दु में लिखा है कि–** ***"मद संख्या–07 एवं मद संख्या 8 में मान्य वित्तसमिति ने उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में कार्यरत सह–आचार्यों को वेतन बैण्ड रू.37400–67000 ग्रेड पे 9000का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर समस्त तथ्यों सहित पुनः शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये उक्त के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त होने तक विश्वविद्यालय में कार्यरत सह–आचार्यों को ग्रेड पे–9000 दिये जाने हेतु रोक लगाये जाने का मा.वित्त समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया।"*** **के सम्बन्ध में मा.उच्च न्यायालय के WPSB 381/2018 दिनांक 03.10.2018, के आदेश के अनुसार सन्दर्भित विषय को कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया एवं षष्ठ वेतनमान सम्बन्धी शासनादेश आदि तथ्यों के**

आलोक में गहन विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि– सह–आचार्यों को यथा विधि अनुमन्य वेतन बैण्ड रू. 37400–67000 ग्रेड पे 9000 पर किसी प्रकार की छेड़ छाड़ न की जाये तथा शासनादेश, कार्यालयादेश के विषय को स्वीकार न करते हुए इस आशय के साथ उ.प्र. रा. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26/4 के तहत उक्त निर्णय, वित्त समिति को वापस किये जाने का निर्णय किया गया। वित्तसमिति की 18वीं बैठक के शेष विनिश्चयों की समिति द्वारा सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गयी। साथ ही सह–आचार्यों को उक्त वेतनमान व समस्त देय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही एरियर दिये जाने का निर्णय किया गया।

मद संख्या : 03 विश्वविद्यालय में एक विधिपरामर्शी की नियुक्ति हेतु विचार विमर्श।

विनिश्चय : **विश्वविद्यालय के विरूद्ध मा. उच्च न्यायायलय व सर्वोच्च न्यायालय में गतिमान याचिकाओं की बढ़ती हुई संख्या, शिक्षकों/कार्मिकों के काफी लम्बे समय से लम्बित देय व प्रोन्नति प्रकिया आदि के सम्बन्ध में समय समय पर विधिक राय हेतु समिति द्वारा विश्वविद्यालय के लिये एक विधिपरामर्शी को Retainership के माध्यम से नियुक्त करने का सर्व सहमति से निर्णय लिया।**

मद संख्या : 04 विश्वविद्यालय की वित्त समिति में कार्यपरिषद् द्वारा 01 सदस्य को नामित करने पर विचार।

विनिश्चय : **उ.प्र.रा. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26/1(घ) के तहत समिति द्वारा सर्व सहमति से श्री राजीव तलवार, वित्त नियंत्रक, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली को वित्त समिति सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।**

अन्य मद : **मा. कुलपति महोदय की अनुमति से :–**

मद संख्या : 01 कुलपति कैम्प कार्यालय को व्यवस्थित करने के सम्बन्ध में विचार।

विनिश्चय : **कुलपति कैम्प कार्यालय को विगत वर्षों की भाँति एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थित करने हेतु समिति द्वारा सर्वसहमति से कुलसचिव को अधिकृत किया गया, जो अभी तक व्यवस्थित नहीं है।**

अतिरिक्त अन्य विषय उपकुलसचिव के द्वारा प्रस्तुति के सातत्य में अग्रिम पृष्ठ पर अंकित किये जाने हैं।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव
31.01.2023

(प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री)
कुलपति

कार्यपरिषद् की 45वीं आकस्मिक बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2023 का कार्यवृत्त

विषय विशेष होने के कारण उपकुलसचिव, श्री दिनेश कुमार को विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

मद संख्या : 02 शिकायतकर्ता पुनीत कंसल एडवोकेट चेन्बर न. 726 जनपद व सत्र न्यायालय रोशनाबाद, हरिद्वार 249402 द्वारा कुलसचिव श्री गिरीश कुमार अवस्थी की नियुक्ति के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित दो शिकायती पत्र दिनांक 20.12.2022 व दिनांक 21.01.2023 प्राप्त हुए हैं, जिनमें श्री अवस्थी जी पर गम्भीर आरोप भी लगाये गये हैं। कार्मिक विभाग से निर्गत आदेश दिनांक 23.6.2010 के अनुसार शिकायत कर्ता द्वारा कार्यालय को शपथ पत्र उपलब्ध करवा दिया गया। इस गम्भीर प्रकरण पर विधि सम्मत दिशा निर्देश/अग्रिम कार्यवाही हेतु मा.समिति के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत हैं।

विनिश्चय : **समिति द्वारा उपरोक्त शिकायती प्राप्त पत्रों के प्रकरण पर विचार–विमर्श के समय कुलसचिव महोदय से आग्रह किया गया कि यह प्रकरण आपसे सम्बन्धित है, इस प्रकरण में कार्यवाही के समय आपका उपस्थित रहना उपयुक्त नहीं है। अतः श्री अवस्थी उक्त आग्रह स्वीकार करते हुए अग्रिम कार्यवाही में अनुपस्थित रहे, कुलसचिव के स्थान पर उपकुलसचिव, श्री दिनेश कुमार को यह कार्य प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया। अतः अवलोकन के उपरान्त गहन विचार विमर्श पूर्वक समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिकायती पत्रों में उल्लिखित आरोप गम्भीर प्रकृति के और साक्ष्यों से समर्थित प्रतीत होते हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय को अपने स्तर से कारण बताओं नोटिस जारी करने को कहा गया, एवं अग्रिम बैठक में उपरोक्त की आख्या कार्यपरिषद् के सामने प्रस्तुत की जाय।**

अन्त में अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित समस्त सदस्यों का आभार उपकुलसचिव द्वारा व्यक्त करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

30/01/2023

(दिनेश कुमार)
उपकुलसचिव

(प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री)
कुलपति